

14 MAY, 2019

REDACTIVE PRICING AUDIT AND THE CAG'S DUTIES**संदर्भ**

- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राफेल विमान सौदे के संदर्भ में पेश की गई रिपोर्ट, मूल्य निर्धारण में कमी और मीडिया रिपोर्टों में आए 'चुराई गई फाइल' पर विवाद के कारण सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था को सुर्खियों में ला दिया है।
- स्टॉकहोल्डर्स के समक्ष कई प्रश्न उठते हैं: संशोधित सक्रिय मूल्य निर्धारण क्या है? क्या संवैधानिक जानादेश संसद के समक्ष रखे जाने के पूर्व राष्ट्रपति को सौंपी गई 'कैग रिपोर्ट' में पुनः मूल्य निर्धारण की शक्ति प्रदान करता है। क्या कोई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था (SAI) जैसे कि राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय, सरकारी जवाबदेही कार्यालय या राष्ट्रमंडल देश ऑडिट में पुनः मूल्य निर्धारण के संदर्भ का पालन करते हैं?
- किसी दस्तावेज के प्रकाशन से पहले अस्पष्ट या संवेदनशील जानकारी को हटाने का चयन होता है। CAG को भारत में त्रिस्तरीय सरकारों की सभी प्राप्तिओं और व्यय का लेखा-जोखा करने हेतु अनिवार्य, स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयरहित होकर लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन में विधायिका को रिपोर्ट करने के लिए अनिवार्य किया गया है। CAG वित्तीय अनुपालन और प्रदर्शन लेखा परीक्षा आयोजित करता है तथा विधायिका की निगरानी और कार्यकारी की सार्वजनिक जवाबदेही लागू करने में जनता के प्रतिनिधियों की मदद करने के लिए अपनी रिपोर्ट विधायिका को सौंपता है। CAG की रिपोर्ट को लोक-लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति जैसी विधायी समितियाँ जाँच करती हैं।

क्या है CAG (अनुच्छेद-148)

- CAG भारत के संविधान द्वारा स्थापित अथॉरिटी है तथा यह सरकार के प्रभाव क्षेत्र से बाहर है। इसे सरकार की आमदनी और खर्च पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। कैग की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा होती है और पद से हटाने की प्रक्रिया वैसी ही है, जैसी सुप्रीम कोर्ट के जज के मामले में अपनाई जाती है।
- इसकी सैलरी और सेवा की दूसरी शर्तें संसद द्वारा तय होती हैं और नियुक्ति के बाद उसमें इस तरह बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे इसको नुकसान हो कैग ऑफिस के प्रशासनिक खर्च, कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाले जाते हैं।
- कैग अपनी रिपोर्ट संसद और विधानसभाओं की कई समितियों जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को देता है। ये कमेटी रिपोर्ट की स्कूटनी करती हैं और फैसला करती हैं कि क्या उसमें सभी पॉलिसी का पालन किया गया है। वह यह भी देखता है कि क्या किसी सरकारी निकाय की तरफ से कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई है। फिर मामले को चर्चा के लिए संसद में पेश किया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है।
- CAG का काम केन्द्र और राज्य के सभी सरकारी विभागों और दफ्तरों के अकाउंट्स का ऑडिट करना और चेक करना है। इन विभागों और दफ्तरों में रेलवे, पोस्ट एंड टेलिकॉम भी शामिल हैं। यह सरकार की खुद की कंपनियों या उसकी तरफ से फाइनेंस होने वाली कंपनियों के खातों की भी स्कूटनी करता है।
- कैग ऑडिट को दो वर्गों- रेग्युलेरिटी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट में बांटा गया है। रेग्युलेरिटी ऑडिट (जो कम्पलायंस ऑडिट भी कहलाता है) में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऐनालिसिस किया जाता है और देखा जाता है कि उसमें सभी नियम-कानून का पालन किया गया है नहीं, परफॉर्मेंस ऑडिट में कैग यह चेक करता है कि क्या सरकारी प्रोग्राम शुरू करने का जो मकसद था, वह कम से कम खर्च में सही तरीके से हासिल हो पाया है।

राफेल और CAG की रिपोर्ट

- ऑडिट रिपोर्ट की प्रस्तावना में, कैंग ने कहा कि संशोधित सक्रिय मूल्य निर्धारण अनोखा था परन्तु सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मंत्रालय के विशेष जोर देने पर इसे स्वीकार करना पड़ा। नतीजतन, पूर्ण वाणिज्यिक विवरणों को रोक दिया गया था और खरीद सौदे के आंकड़ों को प्रदर्शित नहीं किया गया था। यह अभूतपूर्व था कि संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत CAG द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई एक ऑडिट रिपोर्ट ने प्रासंगिक जानकारी को दबा दिया।

खरीद के लिए महत्वपूर्ण

- मूल्य निर्धारण किसी भी खरीद निर्णय की सर्वोत्कृष्टता है। गुणवत्ता और मात्रात्मक विशिष्टताओं के साथ, तुलनात्मक योग्यता और अवगुणों का पता लगाया जाता है, और तुलनात्मक उत्पादों के मूल्य निर्धारण की तुलना निर्णय लेने में की जाती है। मूल्य निर्धारण किसी भी उपकरण, उत्पाद, माल या सेवा की खरीद निर्णय प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। किसी उत्पाद का एक रणनीतिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, उसे कितनी अच्छी तरह से खरीदे जाने से है, एक समय में कितने खरीदे जाने हैं और किस कीमत तथा अन्य शर्तों के साथ खरीद निर्णय पर पहुंचने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए, मूल्य निर्धारण और तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा किसी भी खरीद निर्णय के मध्य में है।
- एक लेखा परीक्षा से तथ्यों और तुलनात्मक मूल्य निर्धारण चार्ट का विश्लेषण करने की उम्मीद की जाती है ताकि खरीद निर्णय के वित्तीय स्वामित्व और विवेक को उजागर किया जा सके। संस्था को संवैधानिक रूप से अनिवार्य और अधिकार प्राप्त है कि वह खरीद के बारे में सभी आवश्यक कारकों को कवर करे, अनुकूलित एंड-टू-एंड प्राइसिंग असेसमेंट, कानूनी आवश्यकताएं, नियम शर्तें, मध्यस्था कानूनी और अन्य विनियमों का अनुपालन करें।

जटिल ऑडिट

- आज के आधुनिक बाजार परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी उत्पादों और मूल्य निर्धारण में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की गतिशीलता को देखते हुए, मूल्य निर्धारण, वितरण और पोस्ट-डिलीवरी सेवा और अन्य शर्तें अनिवार्य रूप से एक एसएआई (SAI) ऑडिट में शामिल हैं। यह एक जटिल ऑडिट है, जो असाधारण अंतर्दृष्टि, विशेषज्ञता, ज्ञान और कौशल की मांग करता है। यदि कैंग कार्यालय के पास निष्पादन ऑडिट करने के लिए विशेषज्ञता का अभाव है, तो ऑडिट टीम में सहयोग के लिए संसाधनों या विश्वसनीय संगठनों से विशेषज्ञता मांगी जा सकती है।
- मूल्य निर्धारण के निर्णयों को बिना संशोधित सक्रिय मूल्य निर्धारण के विस्तृत विश्लेषण के अधीन किया जाना चाहिए, संसद को संवैधानिक रूप से यह जानने का अधिकार है कि कार्यकारिणी ने क्या, कैसे और किन शर्तों के तहत खरीद का फैसला किया गया। CAG के ऑडिट से खरीद के निर्णयों में पैसे के मूल्य को उजागर करने की उम्मीद है।
- एक निष्पादन ऑडिट यह स्थापित करने के लिए किया जाता है कि क्या खरीद गतिविधि को अर्थव्यवस्था, दक्षता, प्रभावशीलता, नैतिकता और इक्विटी को ध्यान में रखे हुए निष्पादित किया गया था। केवल एक संपूर्ण मूल्य निर्धारण ऑडिट, खरीद निर्णय की विश्वसनीयता और अखंडता को सामने ला सकता है, जिससे SAI की संवैधानिक रूप से अनिवार्य जिम्मेदारियां होती हैं।

विशेष-**संचित निधि (Consolidated Fund) -**

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-266 के तहत स्थापित यह एक ऐसी निधि है जिसमें समस्त कर/राजस्व तथा लिए गए ऋण को जमा किया जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी निधि है जो संसद के अधीन रखी गई है।
- इस निधि में से बिना संसद के पूर्व स्वीकृति के किसी भी प्रकार से न तो धन निकाला जा सकता है और

न ही जमा किया जा सकता है।

संशोधन करना (Redaction)

- इससे तात्पर्य वैसी कार्यविधि से जिसमें किसी दस्तावेज के प्रकाशन से पहले उसमें उपस्थित संवेदनशील या अस्पष्ट जानकारी को हटाने या उसके चयन के अनुकूलन से होता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत के नियंत्रक और महालेखापरिक्षक 'जनता के मित्र' के रूप में अपनी पहचान रखता है। वित्तीय अनुपालन के संदर्भ में संसदीय समितियों द्वारा CAG के लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जाँच जैसे प्रावधान क्या CAG के कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं? चर्चा कीजिए।



